

उत्तराखण्ड शासन

आबकारी अनुभाग

संख्या 59/XXIII/2013/04(52)/2012

देहरादून: दिनांक: 29 जनवरी, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य में माइक्रो पब ब्रुवरी स्थापित किये जाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1. माइक्रो पब ब्रुवरी की स्थापना हेतु आवेदक का एफ0एल0-06(समिश्र)/एफ0एल0-07/एफ0एल0-07बी0 अनुज्ञापन धारक होना आवश्यक है तथा माइक्रो पब ब्रुवरी की स्थापना हेतु पात्रता शर्तें उक्त अनुज्ञापनों की शर्तों के ही समान होगी।
2. माइक्रो पब ब्रुवरी स्थापित करने हेतु आवेदक को सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम0बी0-19 में आवेदन करना होगा, जिसके साथ परियोजना आख्या (Project report) एवं तीन प्रतियों में नील पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर अपनी संस्तुति आख्या आबकारी आयुक्त को प्रेषित की जायेगी। आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड अपनी संस्तुति के साथ माइक्रो पब ब्रुवरी का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेंगे। शासन की स्वीकृति/अनुमति के पश्चात आबकारी आयुक्त द्वारा एम0बी0-20 अनुज्ञापन जारी कर छः माह का समय माइक्रो पब ब्रुवरी की स्थापना हेतु दिया जायेगा, निर्धारित अवधि के पश्चात एम0बी0-20 अनुज्ञापी द्वारा प्रपत्र-एम0बी0-21 में जिलाधिकारी के माध्यम से माइक्रो पब ब्रुवरी की स्थापना पूर्ण होने की सूचना आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड को प्रेषित की जायेगी, जिसके आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा तकनीकी समिति से जांच कराये जाने के पश्चात एम0बी0-1 अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।
3. एम0बी0-1 अनुज्ञापन दिये जाने से पूर्व आवेदक द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होगी :-

(क) माइक्रो पब ब्रुवरी की अधिष्ठापित क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(ख) बीयर बनाने तथा उसकी निकासी के सम्बन्ध में प्रयुक्त किया जाने वाला प्रस्तावित भवन, पात्र, सयंत्र नियमानुसार बनाये गये हैं और आग से बचने के लिये सम्यक उपाय किये गये हैं, का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

अपर आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

(ग) नियम 5 के अधीन विहित लाईसेंस फीस अग्रिम रूप से जमा किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

4. (i) आबकारी आयुक्त को राज्य की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये एम0बी0-20 व एम0बी0-01 लाईसेंस प्रदान करने और लाईसेंस हेतु प्राप्त आवेदन पत्र को अस्वीकार करने या प्रदत्त लाईसेंस का नवीनीकरण न करने की शक्ति उप नियम 4(ii) के प्राविधानों के अधीन निहित होगी।
(ii) लाईसेंस प्रदान करने या नवीनीकरण करने से इन्कार करने के आबकारी आयुक्त के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार को पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकेगा और सरकार मामले में ऐसा आदेश कर सकती है, जिसे वह उचित समझे।
5. माइक्रो पब ब्रुवरी (एम०बी०-1) अनुज्ञापन हेतु अनुज्ञापन शुल्क ₹ 10,000/- प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए लिया जायेगा, जो एफ०एल०-06(समिश्र)/एफ०एल०-07/एफ०एल०-07बी० बार अनुज्ञापन शुल्क के अतिरिक्त होगा।
6. एफ०एल०-06(समिश्र)/एफ०एल०-07/एफ०एल०-07बी० से पृथक एम०बी०-01 अनुज्ञापन का नवीनीकरण आबकारी आयुक्त स्तर से किया जायेगा। आगामी आबकारी वर्ष के लिए माइक्रो पब ब्रुवरी के लाईसेंस के नवीनीकरण का आवेदन पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।
7. माइक्रो पब ब्रुवरी में अनिष्टकारक पदार्थों का उपयोग निषिद्ध होगा, आबकारी आयुक्त बीयर के विनिर्माण में किन्ही ऐसे पदार्थों का प्रयोग निषिद्ध कर सकते हैं, जो उनकी राय में हानिकारक प्रकृति के हों।
8. निरीक्षणकर्ता अधिकारी नमूने के विशलेषण हेतु बिना कोई भुगतान किये किसी बीयर या उसके विनिर्माण में प्रयुक्त पदार्थों का नमूना ले सकते हैं।
9. माइक्रो पब ब्रुवरी में 5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता से अधिक तीव्रता की बीयर का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
10. माइक्रो पब ब्रुवरी पर उत्पाद शुल्क तत्समय आबकारी नीति/टैक्स स्ट्रैक्चर में निर्धारित कम तीव्रता की बीयर पर देय उत्पाद शुल्क के अनुरूप होगी, तथा उत्पाद शुल्क माइक्रो पब ब्रुवरी की दैनिक संस्थापित क्षमता के आधार पर अग्रिम रूप से लिया जायेगा।

11. माइक्रो पब ब्रुवरी में वह सभी नियम भी लागू होंगे जो बार अनुज्ञापन हेतु आवश्यक एवं प्रचलन में होंगे।
12. आबकारी नियमों के मानक के अनुरूप क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक व उससे उच्च अधिकारी द्वारा माइक्रो पब ब्रुवरी का समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)

प्रमुख सचिव

संख्या 59 (I) / XXIII / 2012 / 04(52) / 2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी जनपद-हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन, 4-सुभाष रोड़ देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(दिलीप जावलकर)

अपर सचिव